XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2344–एक / 14 जिला – उज्जैन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16.4.15 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के द्वारा प्र0क0 88 / 2012 / अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–6–14 के विरूद्ध पेश की गई है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व पटवारी से अपील पत्र में दर्शित बिंदुओं पर तत्यात्मक प्रतिवेदन लेने हेतु नियत किया है इसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में यह पुनरीक्षण बिना किसी आधार के की गई है । अतः अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>सदस्य | |

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
Rs 20

PM-NELESH PANCHAL

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-2344-I/14

निलेश पांचाल पिता श्री रामनारायण जी पांचाल
आयु 32 वर्ष धन्धा—व्यापार एवं कृषि
निवासी—46/1, मेघदूत नगर इन्दौर म.प्र.

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री........
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक....9/5/14
9.7.14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

श्रीमती भागवंताबाई पिता स्व. अम्बाराम जी
पति दौलतराम जी आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम
चान्दमुख तहसील व जिला उज्जैन

---अनावेदक